न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/37/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री सीताराम मीना पुत्र गंगाधर मीना निवासी–ग्राम व पोस्ट–काबलीगढ, पोस्ट–सूरजगढ़ तहसील–थानागाजी, जिला–अलवर (राज0)		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि : 12.06.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)

दिनांकः 27.06.18

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 15.12.2017 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला–अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जागा जाति के आरक्षित वर्ग, बी.पी.एल. श्रेणी से शुल्क वसूलने संबंधी नियम आदि 03 बिन्दुओं पर विविध सूचनाओं की वांछा की गई थी।
5. अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 15.12.2017 पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्रांकः 5107 दिनांकः 22.12.17 के माध्यम से किए गए विनिश्चय के विरूद्ध उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रार्थना–पत्र दिनांकः–, जो इस न्यायालय को दिनांकः 01.05.18 को प्राप्त हुआ, के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2018/248–49 दिनांकः 10.05.18 के माध्यम तलब कर दिनांकः 25.05.2018 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्रांकः 344–45 दिनांकः 28.05.18 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी कर जवाब के साथ इस न्यायालय में उपस्थित होने निर्देशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः 2233 दिनांकः 13.06.18 के माध्यम से जवाब नोटिस हुआ। जिसके अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 15.12.2017 पर बिन्दुवार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
8. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 15.12.2017 के बिन्दु सं0 1 में प्रत्यर्थी/लोक सूचना अधिकारी के क्षेत्राधीन उपलबध रिकॉर्ड अनुसार सूचित किया जा चुका है। बिन्दु सं. 02 व 03 अन्तर्गत बी.पी.एल. श्रेणी आवेदक से शुल्क वसूलने के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के नियम 4(सी) का उल्लेख किया है।

जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

है। बिन्दु सं. 02 व 03 अन्तर्गत बी.पी.एल. श्रेणी आवेदक से शुल्क वसूलने के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के नियम 4(बी) का उल्लेख किया है।

9. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांकः 31.072012 के अनुसार सूचना का अधिकार नियम, 2012 नियम बनाये गये हैं। उक्त नियम की धारा 5 में उल्लेखित है कि ***<u>Exemplion from Payment of Fee-</u>*** *No fee under rule 3 and rule 4 shall be charged from any person who is below poverty line provided a copy of the certificate issued by the appropriate Government in this regard is submitted alongwith the application.* सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(5) मे भी उल्लेखित है कि ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

10. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 15.12.2017 के बिन्दु सं0 02 व 03 के परिप्रेक्ष्य में पत्रांकः 5107 दिनांकः 22.12.17 के माध्यम से किया गया विनिश्चय गलत है एवं उक्त कथित नियमों का उल्लंघन है।

11 अतः उक्त निर्देशों के आलोक में प्रत्यर्थी विभाग, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रा.पत्र दि0 15.12.2017 के बिन्दु सं02 व 03 मे वांछित सूचना अभिलेख पर उपलब्ध स्थिति अनुसार बिन्दुवार अधिनियम के प्रावधानानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को उक्त आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में आवश्यक रूप से निःशुल्क या पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त भविष्य में बी.पी.एल. श्रेणी आवेदकों से उक्त अधिनियम अंतर्गत किसी प्रकार का प्रभार/शुल्क नहीं लिया जावे।

10. अतः उक्त आलोक में अपील उक्तानुसार आंशिक स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)